न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/21/2020

अपीलार्थीः–

श्री प्रताप सिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस बहरोड जिला अलवर।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 24.08.2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 15.01.20 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.03.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. कोराना वायरस (Covid-19) वैश्विक महामारी से संक्रमण के मध्येनजर उक्त बीमारी के फैलाव की रोकथाम में अतिव्यस्तता के कारण पत्रावली का आज अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 505 दिनांक 17.03.2020 के माध्यम से जबाव नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि आपका आवेदन दिनांक 15.01.20 में अंकित वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने व तृतीय पक्षकार द्वारा सूचना जारी किए जाने में असहमति व्यक्त किए जाने के कारण पत्रांक 281 दिनांक 18.02.20 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 24.08.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)

जिला कलेक्टर अलवर